महत्वपूर्ण

संख्या 404/चौवालिस-2-95-4/1995

प्रेषक,

श्री आर०एस० निगम,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त निगमों/उपक्रमों से सम्बन्धित शासन के प्रमुख सचिव/ सचिव।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

लखनऊः दिनांकः 29 मार्च, 1995

विषयः– सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के वार्षिक लेखों के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/उपक्रमों में से जो उपक्रम/निगम/सहायक कम्पनियां बन्द हो चुकी हैं उनके बकाया वार्षिक लेखों की स्थिति पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रश्नगत निगमों/सहायक कम्पनियों के अवशेष लेखों को पूर्ण कराने का कार्य यू०पी० डिस्कों को सौंप दिया जाय। उक्त निगमों/सहायक कम्पनियों के परिसमापन (लिक्वीडेसन) की औपचारिक कार्यवाही भी यू०पी० डेस्कों द्वारा ही की जायेगी। इस कार्य हेतु जो धनराशि व्यय होगी वह निगम/उपक्रम के प्रशासनिक विभाग के माध्यम से अलग से वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2- उक्त कार्य के प्रयोजनार्थ होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की कार्यवाही सम्बन्धित निगम/उपक्रम के प्रशासनिक विभाग द्वारा की जायेगी।

भवदीय,
[आर०एस० निगम]
विशेष सचिव।

संख्या 404 (1)/44-2-95 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/लखनऊ।
(3) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के समस्त प्रशासनिक अनुभाग।
(4) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ
(5) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–।
(6) यू०पी० डेवलपमेंट सिस्टम कारपो० (यू०पी० डेस्को) लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क स्थापित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
[देवी प्रसाद साहू]
अनु सचिव।